13 वर्ष (2013-2025)

आईएएस मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन

प्रश्नोत्तर रूप में

प्रश्न-पत्र II

विगत वर्षों के अध्यायवार

हल प्रश्न-पत्र

इन प्रश्न-पत्रों का हल यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप किया गया है। यह पुस्तक सभी राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं हेतु भी समान रूप से उपयोगी हैं।

संपादकः एन. एन. ओझा

हलः क्रॉनिकल संपादकीय समूह

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

13 वर्ष (2013-2025)

आईएएस मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन

प्रश्न-पत्र II प्रश्नोत्तर रूप में

विगत वर्ष (PYQ) अधयायवार हल प्रश्न-पत्र

बुक कोड: 481

संस्करण 2026

मूल्य: ₹180

ISBN : 978-81-995968-9-4

प्रकाशक

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा. लि.

कॉरपोरेट ऑफिस:

ए-1डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301 (उ.प्र.)
फोन नं. : 0120-2514610, मो. नं. : 9999056644
E-mail : info@chronicleindia.in

सर्वाधिकार सुरक्षित © क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा. लि.: इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुन: प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से- इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी और ढंग से, प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पुस्तक में प्रकाशित सामग्री उपरोक्त विषय पर प्रकाशित पुस्तकों/जर्नल/रिपोर्ट/ ऑनलाइन कंटेंट आदि से संकलित है। लेखक/संकलनकर्ता/प्रकाशक, प्रकाशित सामग्री की मूल लेखन का दावा नहीं करता। प्रकाशित सामग्री को पूर्णत: त्रुटि रहित बनाने का प्रयास किया गया है, फिर भी किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा प्रकाशक/लेखक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। शंका की स्थिति में पाठक स्वयं भारत सरकार के दस्तावेज व अन्य स्रोतों के माध्यम से जांच कर सकते हैं
सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

अनुक्रमणिका

सामान्य अध्ययन

II. द्वितीय प्रश्न-पत्र

1. राजव्यवस्था एवं शासन 1-82

- भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।
- संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।
- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।
- भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना।
- संसद और राज्य विधायिका-संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।
- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य-सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं।
- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।
- सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।
- विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग-गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

2. सामाजिक न्याय 83-115

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।
- गरीबी और भूख से संबंधित विषय।

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।
- लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।

3. अंतरराष्ट्रीय संबंध 116-144

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।
- भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव।
- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

◆◆❖◆◆

1 राजव्यवस्था एवं शासन

प्र. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उद्देश्य से 'भ्रष्ट आचरण' की विवेचना कीजिए। विश्लेषण कीजिए कि क्या विधायकों एवं/अथवा उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि 'असम्यक् असर' सृजित करती है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2025)

उत्तर: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 भारत में चुनावों के संचालन से संबंधित है। इस अधिनियम की धारा 123 उन गतिविधियों की पहचान करती है जो निष्पक्ष चुनावों के लिए खतरा पैदा करती हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 'भ्रष्ट आचरण'

- **रिश्वतखोरी (Bribery):** मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धन या लाभ का प्रस्ताव देना।
- **अनुचित प्रभाव (Undue Influence):** कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य जो मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोकता है। इसमें धमकी, दबाव, जबरदस्ती या गलत सूचना फैलाना शामिल है।
- **असत्य कथन (False Statements):** किसी उम्मीदवार के चरित्र या आचरण के बारे में जानबूझकर झूठ बोलना।
- **सामुदायिक विभाजन (Community Divisions):** धर्म, जाति या भाषा के आधार पर नफरत पैदा करना।
- **चुनावी धोखाधड़ी (Election Fraud):** मतदाताओं का अवैध परिवहन, अत्यधिक धन खर्च करना, या प्रचार के लिए सरकारी कर्मचारियों का उपयोग करना।

क्या संपत्ति में वृद्धि 'अनुचित प्रभाव' और एक भ्रष्ट आचरण है?

- **चुनावों में अनुचित प्रभाव:** अनुचित प्रभाव का अर्थ है मतदाताओं की मतदान की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना। इसमें डराना-धमकाना, चोट पहुंचाने की धमकी, सामाजिक बहिष्कार, भ्रामक जानकारी देना आदि शामिल हैं।
  - अधिनियम के लिए इस बात के प्रमाण की आवश्यकता होती है कि किसी ने जानबूझकर यह नियंत्रित करने की कोशिश की कि लोगों ने कैसे वोट दिया।
- **कानूनी अंतर (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाम RPA, 1951):** विधायक/सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति में वृद्धि 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' का उल्लंघन है। हालांकि, RPA, 1951 के तहत, यह स्वतः ही भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाता है।
- **संपत्ति को भ्रष्ट आचरण मानने की शर्तें:** यदि संपत्तियों को जानबूझकर मतदाताओं से छिपाया जाता है या चुनावों के दौरान उन्हें रिश्वत देने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह 'अनुचित प्रभाव' और भ्रष्ट आचरण बन जाता है।
- **प्रकटीकरण पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (2025):** हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय (2025 में) में स्पष्ट किया कि चुनावी फॉर्म में संपत्तियों का केवल खुलासा न करना हमेशा चुनाव को अमान्य नहीं करता है। अदालतें अब यह जांचती हैं कि क्या छिपाव इतना महत्वपूर्ण (substantial) था कि उसने वास्तव में लोगों के वोट देने के तरीके को बदल दिया।
- **इरादे और नैतिक निहितार्थ की भूमिका:** मतदाताओं को गुमराह करने के लिए जानबूझकर अनुपातहीन संपत्ति छिपाना RPA, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आ सकता है, यदि यह लोगों के मतदान के निर्णय को प्रभावित करता है।
- इस प्रकार, अनुपातहीन संपत्ति RPA, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण तभी बनती है जब उम्मीदवार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उन्हें जानबूझकर छिपाते हैं या उनका उपयोग करते हैं। लेकिन, यह निश्चित रूप से चुनावों के दौरान एक अनैतिक आचरण है।

प्र. न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में अधिकरणों के बुनियादी ढांचे द्वारा किए गए नए अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2025)

उत्तर: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A संसद को सार्वजनिक सेवाओं और पदों से संबंधित विवादों के अधिनिर्णयन (adjudication) के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।

प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता

- **मामलों के भारी बोझ को कम करना:** नियमित अदालतों में मामलों का भारी बैकलॉग (जैसे 4.6 करोड़ लंबित मामले) है, जिसे कम करने में प्रशासनिक अधिकरण मदद करते हैं।
- **जटिल प्रक्रियाओं से राहत:** अधिकरण प्राकृतिक न्याय पर आधारित सरल प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जो नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) जैसे सख्त, लंबे और महंगे अदालती नियमों से अलग हैं।
- **सदस्यों की विशेषज्ञता:** अधिकरण के सदस्यों के पास विशिष्ट ज्ञान (जैसे सेवा मामले, कर, पर्यावरण, आदि) होता है, जिसकी कमी सामान्य न्यायाधीशों में हो सकती है।

2

सामाजिक न्याय

प्र. महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तीकरण और लैंगिक समता को आगे बढ़ाने में सहायक है। समझाइए।
(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2025)

उत्तर: सामाजिक पूंजी का तात्पर्य संबंधों के जाल, साझा मानदंडों और विश्वास से है जो सामूहिक कार्रवाई को सक्षम बनाते हैं। महिलाओं के लिए, यह व्यक्तिगत सामर्थ्य को सामूहिक शक्ति में बदल देती है।

सशक्तीकरण के पूरक के रूप में सामाजिक पूंजी

- **आर्थिक आत्मनिर्भरता:** स्वयं सहायता समूह (SHG) जैसे नेटवर्क (जैसे केरल में 'कुडुम्बश्री') बिना गारंटी के ऋण प्रदान करने के लिए 'बॉन्डिंग सोशल कैपिटल' का उपयोग करते हैं, जिससे साहूकारों पर निर्भरता कम होती है और वित्तीय निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है।
- **राजनीतिक सामर्थ्य:** जमीनी स्तर के समूह नेतृत्व के लिए 'प्रशिक्षण मैदान' का निर्माण करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं अक्सर अलगाव को दूर करने और प्रशासनिक अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सामुदायिक नेटवर्क (महिला सभाओं) पर निर्भर रहती हैं।
- **संकट के प्रति लचीलापन (Resilience):** मजबूत सामाजिक संबंध संकट के दौरान सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत में महिला समूहों ने संसाधनों को जुटाया और उच्च अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया।
- **सूचना अंतराल को पाटना:** अनौपचारिक नेटवर्क सूचना केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, जो अधिकारों, सरकारी योजनाओं (जैसे उज्ज्वला योजना) और कानूनी उपचारों के बारे में ज्ञान का प्रसार करते हैं, जिससे राज्य और नागरिक के बीच की दूरी कम होती है।

लैंगिक समता को आगे बढ़ाने में सामाजिक पूंजी

- **सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining):** संगठित महिलाओं को बेहतर मजदूरी और काम की परिस्थितियों के लिए बातचीत करने में सक्षम बनाती है।
  - **उदाहरण:** SEWA (स्व-नियोजित महिला संघ) ने राष्ट्रीय श्रम नीतियों को प्रभावित किया है।
- **पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देना:** 'ब्रिजिंग सोशल कैपिटल' (विविध समूहों को जोड़ना) महिलाओं को प्रगतिशील विचारों से रूबरू कराता है, जिससे दहेज और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए एकजुटता पैदा होती है (जैसे गुलाबी गैंग की सक्रियता)।
- **सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच:** सामूहिक मांग राज्य को पानी, स्वच्छता और सुरक्षा जैसी लैंगिक विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए मजबूर करती है, जिससे 'निजी समस्याएं' 'सार्वजनिक मुद्दों' में बदल जाती हैं।
- **घरेलू भूमिकाओं में बदलाव:** बाहरी नेटवर्क में सदस्यता परिवार के भीतर महिला की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाती है, जिससे संसाधनों और निर्णय लेने की भूमिकाओं का अधिक समान वितरण होता है।

महिलाओं की सामाजिक पूंजी का उपयोग केवल सेवा वितरण के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि नेटवर्क को औपचारिक रूप देकर इसमें निवेश करने की आवश्यकता है। इससे समावेश सुनिश्चित होगा और निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ेगी।

प्र. संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक प्रमुख कारण है। 'गरीबी के विरोधाभास' के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2025)

उत्तर: 'गरीबी का विरोधाभास' उस स्थिति का वर्णन करता है जहां प्रचुर राष्ट्रीय संसाधनों या आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी बनी रहती है। यह अक्सर संसाधनों के असमान वितरण, संरचनात्मक बाधाओं और अवसरों तक पहुंच की कमी के कारण होता है।

संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता

- **भूमि वितरण:** भूमि का असमान वितरण गरीबी के मूल कारणों में से एक है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण भारत में लगभग 41% परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है। भूमिहीन छोटे और सीमांत किसान कृषि से पर्याप्त आय उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, जो उन्हें गरीबी के दुष्चक्र में धकेल देता है।
- **पूंजी और ऋण तक पहुंच:** पूंजी और ऋण तक पहुंच में असमानता के कारण गरीब गरीबी के जाल में फंसे रहते हैं। लगभग 87% ग्रामीण गरीबों के पास औपचारिक ऋण स्रोतों तक पहुंच नहीं है। औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए 'गारंटी' (collateral) की कमी एक दुष्चक्र बनाती है जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी बनी रहती है।
- **लैंगिक असमानता:** कृषि कार्यबल का 75% हिस्सा होने के बावजूद महिलाओं के पास 13% से भी कम भूमि का स्वामित्व है। पारंपरिक विरासत प्रथाओं और कानूनों ने व्यवस्थित रूप से महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व से बाहर रखा है, जिससे महिला प्रधान परिवार गरीबी में फंसे रहते हैं।
- **धन का संकेंद्रण:** भारत के शीर्ष 1% के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 40% हिस्सा है, जबकि निचले 50% के पास केवल 3% हिस्सा है। धन का यह संकेंद्रण कल्याणकारी उपायों में निवेश के लिए सार्वजनिक संसाधनों को कम कर देता है।

3

अंतरराष्ट्रीय संबंध

प्र. भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान, सह-विकास और दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त कर रही है। विस्तार से बताइए।

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2025)

उत्तर: भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी पारंपरिक सहायता ढांचों से विकसित होकर प्रौद्योगिकी-आधारित सहयोग में बदल गई है। यह अफ्रीका की 'डिजिटल परिवर्तन रणनीति (2020-2030)' के अनुरूप है।

पारस्परिक सम्मान प्राप्त करना

- भारत का दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी थोपने के बजाय मांग-आधारित समाधानों को प्राथमिकता देता है।
  - **उदाहरण:** IIIT-B के सहयोग से मोरक्को और टोगो द्वारा MOSIP डिजिटल पहचान प्रणाली को अपनाना।
- निगरानी-आधारित मॉडलों (surveillance-heavy models) के विपरीत, भारत ऐसी साझेदारी को बढ़ावा देता है जहां अफ्रीकी देशों का अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे पर पूर्ण नियंत्रण रहता है।
- **पैन-अफ्रीकन ई-नेटवर्क (2009):** इसने टेली-मेडिसिन और टेली-शिक्षा के माध्यम से 53 देशों को जोड़ा, जिसमें अफ्रीका को एक समान हितधारक माना गया।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (जैसे ITEC) के साथ भारत का 12 बिलियन डॉलर का रियायती ऋण यह सुनिश्चित करता है कि अफ्रीकी अपने डिजिटल परिवर्तन का स्वयं नेतृत्व करें।

सह-विकास प्राप्त करना

- भारत आधार, UPI, CoWIN, DIKSHA आदि जैसे 'डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे' (DPI) को ओपन-सोर्स डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में साझा करता है, जिससे बिना लाइसेंस प्रतिबंधों के अनुकूलन (customisation) संभव होता है।
  - **उदाहरण:** नामीबिया का 2024 में NPCI के साथ UPI जैसी भुगतान प्रणाली का समझौता।
- **IIT मद्रास जांजीबार कैंपस (2023):** यह संस्थान प्रतिवर्ष 3,000 से अधिक छात्रवृत्तियों के साथ डेटा विज्ञान और एआई पाठ्यक्रम प्रदान कर तकनीकी विशेषज्ञता का निर्माण कर रहा है।
- यह साझेदारी केवल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन परिवर्तन तक विस्तारित है (जैसे 'स्मार्ट जाम्बिया पहल 2023')।

दीर्घकालिक संस्थागत साझेदारी प्राप्त करना

- नियमित 'भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन' निरंतर नीतिगत संवाद और रणनीतिक ढांचा स्थापित करते हैं।
- भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ (AU) की जी20 सदस्यता और 'डिजिटल अफ्रीका के लिए नीति और नियामक पहल' (PRIDA) में भागीदारी महाद्वीपीय स्तर पर सहयोग को संस्थागत बनाती है।
- मंत्रालयों, IIT, स्टार्टअप्स और नागरिक समाज के बीच कई संस्थागत सहयोग एक बहु-हितधारक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं।
- भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी न्यायसंगत 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' का प्रदर्शन करती है। डेटा संप्रभुता ढांचों के माध्यम से इसे और मजबूत करना समावेशी डिजिटल परिवर्तन के लिए एक अनुकरणीय वैश्विक मॉडल स्थापित करेगा।

प्र. "वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ, शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है।" स्पष्ट कीजिए। (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2025)

उत्तर: संप्रभु राष्ट्रवाद (Sovereign nationalism) वैश्विक मुद्दों के बजाय राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। शीत युद्ध के बाद का वैश्वीकरण वर्तमान में संरक्षणवाद, सीमा नियंत्रण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के माध्यम से चुनौतियों का सामना कर रहा है।

वैश्वीकरण का ह्रास और संप्रभु राष्ट्रवाद का उदय

- **आर्थिक राष्ट्रवाद:** राष्ट्र ऐसी नीतियों का पालन कर रहे हैं जो 1990 के दशक के बाद के मुक्त बाजार को चुनौती देती हैं और 'आपूर्ति शृंखला राष्ट्रवाद' को बढ़ावा देती हैं।
  - **उदाहरण:** अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध (2018 के बाद) जिसने आर्थिक राष्ट्रवाद को प्रदर्शित किया।
- **एकपक्षीय प्रतिबंध:** वैश्वीकरण का संस्थागत ढांचा एकपक्षीय प्रतिबंधों से खतरे में है।
  - **उदाहरण:** यूक्रेन संकट के बाद रूस पर अमेरिका के एकपक्षीय प्रतिबंध।
- **सुरक्षा-केंद्रित गुट:** बहुपक्षीय व्यापार का स्थान अब सुरक्षा-केंद्रित क्षेत्रीय गुट ले रहे हैं। इंडो-पैसिफिक रणनीतियां उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद के बजाय प्रतिस्पर्धा को दर्शाती हैं, जिससे सामूहिक शासन तंत्र कमजोर होता है।
- **सीमा नियंत्रण:** राष्ट्रों ने आव्रजन नियंत्रण और सीमा बुनियादी ढांचे को कड़ा कर दिया है।
  - **उदाहरण:** अमेरिका-मेक्सिको सीमा और यूरोपीय वीजा प्रतिबंध, जो शीत युद्ध के बाद के उदार प्रवासन ढांचे को उलट रहे हैं।